



Telephone-0771-2443596, 2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertca@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक शिक्षा/30-1 डी.एल.एड./प्रवेश/2023-24 2947 रायपुर दिनांक 07/08/23

**डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2023 की सूचना**

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त डाइट/बी.टी.आई./अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश हेतु व्यापम द्वारा आयोजित प्री डी.एल.एड. परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार अनुसार ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जायेगा-

1. ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (डी.एल.एड.)

| क्र | विवरण (चरणवार) | डी.एल.एड. | |
|--------------------|--|------------|------------|
| | | दिनांक से | दिनांक तक |
| प्रथम चरण | | | |
| 1 | पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि। | 17.08.2023 | 23.08.2023 |
| 2 | प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 31.08.2023 | 01.09.2023 |
| 3 | प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना। | 05.09.2023 | |
| 4 | प्रथम चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 05.09.2023 | 11.09.2023 |
| 5 | रिक्त सीटों की जानकारी | 12.09.2023 | |
| 6 | प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
| 7 | प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी करना। | 20.09.2023 | |
| 8 | प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 20.09.2023 | 26.09.2023 |
| 9 | रिक्त सीटों की जानकारी | 27.09.2023 | |
| द्वितीय चरण | | | |
| 10 | पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि। | 29.09.2023 | 03.10.2023 |
| 11 | द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 06.10.2023 | 07.10.2023 |
| 12 | द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना। | 10.10.2023 | |
| 13 | द्वितीय चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 10.10.2023 | 16.10.2023 |
| 14 | रिक्त सीटों की जानकारी | 17.10.2023 | |
| 15 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
| 16 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी करना। | 25.10.2023 | |
| 17 | द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। | 25.10.2023 | 30.10.2023 |
| 18 | रिक्त सीटों की जानकारी | 31.10.2023 | |

2

नोट :-

1. आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छायाप्रति को support.slcm@cgchips.in पर भेजकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।
2. आबंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, संयुक्त मेरिट रैंक तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते।

2. आवश्यक दिशा निर्देश –

आबंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

2.1. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

- I. डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर (हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।
- II. आयु सीमा – डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 01 जुलाई 2023 की स्थिति में 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (Non क्रिमीलेयर) व संवर्ग के अभ्यर्थियों को छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार छूट की पात्रता होगी।

2.2. ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी :-

- I. प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2023 की अंकसूची।
- II. अर्हकारी परीक्षा– हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- III. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- IV. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- V. छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।

3. ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-

अभ्यर्थी छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 का अध्ययन कर लेवे, आबंटन प्रक्रिया इसी प्रवेश नियम अनुसार किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में chrome 22/ Firefox अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्नांकित दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये, जैसे – प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2023 की अंकसूची (रोल नंबर प्रविष्टि के लिए) 10+2 की अंकसूची (प्राप्तांक भरने के लिए) संस्थाओं एवं वहाँ उपलब्ध सीटों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी जायेगी।

3.1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (steps) करने होंगे।

Step - 1

- 1- सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> में जाकर काउंसिलिंग के लिए निर्धारित साइट के लिंक का उपयोग कर अथवा सीधे <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/> में जायें।
- 2- स्क्रीन के दाहिने भाग में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिए बटन क्लिक कर अपना पंजीयन करें। इस हेतु दिशा निर्देश चिप्स के साइट में भी दिये गये हैं। अगले स्क्रीन पर आपको **Homepage** पर कई जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे – समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।
- 3- स्क्रीन के दाहिने भाग में **New Registration** पर क्लिक करें। एवं नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें। अगले स्क्रीन पर स्थायी राज्य चुने (Domicile State) अगले स्क्रीन पर **Mobile Number Tab** पर आपको अपना नंबर भर कर **Verify Tab** पर क्लिक करें, क्लिक करने के पश्चात् आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर **OTP (One Time Password)** प्राप्त होगा। उस अंक को **OTP Box** में भरकर **Verify Tab** पर क्लिक करें। अब आपका मोबाइल नंबर वाला **Tab Verified** हो गया। इसके बाद प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2023 का रोल नंबर, जन्मतिथि एवं इसके नीचे आपको अपना **Password Create** करना होगा। आप अपने सुविधानुसार कोई भी पासवर्ड जिसे आप आसानी से याद रख सकें। पासवर्ड न्यूनतम 06 digit तथा न्यूनतम 01 अंक शामिल होना चाहिये **Submit** पर क्लिक करें।

टीप – 1. आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है जिसमें **OTP (one time password)** भेजा जायेगा।

2. **Password** दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें।

- 4- अगले स्क्रीन पर आपको अपना **Login ID** नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, तथा इसे किसी को न बताये एवं प्रिंट आउट लेकर रख लें।
- 5- इसके पश्चात् **Login Tab** पर क्लिक करें।
- 6- इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको **Login ID**, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और **Captcha Code** भरकर इन्टर करना होगा।
- 7- इसके पश्चात् नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें।
- 8- इसके पश्चात् आपको अपना **Dashboard** प्रदर्शित होगा।

Step - 2

1. इसके पश्चात् आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी प्रविष्ट करना होगा।
2. संवर्ग में **FF/EXSE/दिव्यांग** अभ्यर्थी को संवर्ग का संबंधित प्रमाण पत्र की सॉफ्टकापी अपलोड करना होगा।

3. समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक भरे क्योंकि एक बार फार्म ऑनलाइन Submit होने तथा payment होने के बाद Edit की सुविधा नहीं है।

Step - 3

- I. काउंसलिंग सीट्स आबंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 300/- की राशि जमा करना अनिवार्य होगा यह राशि ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से किसी भी बैंक के खाते से भरी जा सकती है। यदि फार्म जमा करने का अंतिम दिवस नहीं है तो Payment फेल होता है तो एक दिवस रुककर दूसरा Payment करें। Payment के लिए एक से अधिक गेटवे दिये गये हैं। इस कारण ऑनलाइन फार्म भरने के लिए अंतिम दिवस का इंतजार न करें।
- II. पेमेंट के पश्चात् होमपेज पर पुनः जाकर Applicant Login पर क्लिक कर Login करें एवं जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं उसे Select Tab में जाकर चुन लें। आप जितने चाहें उतनी संस्थाओं दे सकते हैं। (कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें) जहां वास्तविक रूप से आप प्रवेश लेना चाहते हैं।
- III. चुनी हुई संस्थाओं के नाम ऊपर प्रदर्शित हो जायेंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं परंतु आबंटन केवल आपके मेरिट क्रम के आधार, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिये होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद अंत में Submit में क्लिक करें।
- IV. आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आबंटित होगी। अगर आप विकल्पों को बदलना चाहते हैं तो Fillup/Modify Choices Tab में जाकर बदल सकते हैं। अगर आप किसी एक विकल्प को हटाना चाहते हैं या सभी विकल्पों को हटाना चाहते हैं तो निर्धारित Tab पर क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में Save पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप अपने विकल्पों को बदल सकते हैं और नये विकल्प जोड़ सकते हैं।

Step - 4

इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर Print Application And Option Form क्लिक करें। इससे आपका फार्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फोटो और आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म में सिर्फ Version No. बदल जायेगा। Version No. Application Form के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम Version ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं।

टीप :-

1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।
 2. यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 3. विकल्प लॉक करने के पहले यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधार किया जा सकता है परन्तु विकल्प लाक करने के पश्चात् त्रुटि सुधार नहीं होगा।
 4. विकल्प लाक करने के बाद भी त्रुटि सुधार नहीं हुआ है तो पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फार्म जमा करना होगा।
4. **दस्तावेज परीक्षण करना (Document Verification) :-** दस्तावेजों का परीक्षण आबंटित संस्था/महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
5. **सीट्स आबंटन :-** निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प एवं संस्थाओं/महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर चिप्स द्वारा तैयार की गई संयुक्त मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालयों में सीट्स आबंटन किया जायेगा। चिप्स द्वारा मेरिट क्रम प्री टेस्ट के प्राप्तांक, प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी का जन्मतिथि (आयु में बड़ा होगा वह मेरिट में आगे होगा), जन्मतिथि समान होने पर अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णक्रम अनुसार बनाया जायेगा।
- 6.1 **आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।**
- (a) SMS के द्वारा सूचना दी जायेगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT की नहीं होगी।
 - (b) अभ्यर्थी अपने Login में जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आबंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आबंटन पत्र को लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।
 - (c) वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक Submit कर भी आबंटन देख सकते हैं। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जाएगी।
 - (d) अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक इस आबंटन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं।

6.2 चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया :-

- a) अभ्यर्थी को आबंटित संस्था/महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आबंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- b) संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जायेगा।
- c) पिछले वर्ष में यह देखा गया है कि महाविद्यालय प्रवेश का प्रतिदिवस ऑनलाइन अपडेट नहीं करते थे। जिसके कारण महाविद्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम दिवस तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित होना भी पड़ सकता है। इस कारण अभ्यर्थी अपने प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कराना सुनिश्चित करावें। महाविद्यालय ध्यान देवे इस प्रकार की गलती होने पर उसके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
- d) संस्था/महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवे। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था/महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- e) चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तथा चयन निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने Login में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है।
- f) प्रवेश लेने के पश्चात् संस्था/महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- g) महाविद्यालय एवं संस्थान राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के दिवस में भी अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए संस्था खुला रखे।

6.3 अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में :-

- I. प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फार्म जमा किये जायेगे।
- II. यदि अभ्यर्थी आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते तो वह एक बार अपने Login में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विकल्प के साथ आबंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। परन्तु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- III. जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे

चरण में आबंटन के लिए विचार किया जाएगा। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने login में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं।


- IV. यदि अभ्यर्थी अपना आबंटन/चयन निरस्त कर दिए गये महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आबंटन फार्म अपने login में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा।
- V. यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भरना होगा।
- VI. जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में Not Reported या किसी अन्य कारण से बाहर हो गये हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा।
- VII. आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फार्म नहीं जमा कर सकेगा।
- VIII. यदि दो चरण के आबंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटे रिक्त रह जाती है तो तीसरा चरण का आबंटन प्रक्रिया किया जायेगा। तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम नियम व शर्तें पृथक से बाद में एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर के वेबसाइट में दिया जायेगा।

टीप:-

1. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
2. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान नियम अनुसार लागू होगा।
3. आबंटन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।
4. विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम व शर्तें व शुल्क तथा महाविद्यालयों की सूची SCERT रायपुर के वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> में अभ्यर्थी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन करने के पूर्व इन नियमों, शर्तों का अध्ययन अवश्य कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हैं।
5. अभ्यर्थी डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन का विकल्प फार्म SCERT के वेबसाइट में उपलब्ध आनलाइन जाकर CHIPS के वेबसाइट के लिए दिये गये लिंक का उपयोग कर या चिप्स Website <https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/> में सीधे निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे।
6. पूछताछ व दावा आपत्ति अभ्यर्थी ईमेल support.slcm@cgchips.in में तथा पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक 7470470609 एवं 7587499921 में कार्यालय दिवस को सुबह 10 बजे से 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त समस्त प्रवेश प्रक्रिया, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./एफ 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 07.08.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


(पुष्पा किस्पोट्टा)

उपसंचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर